# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 142/2026

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.04.2026

**डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 12.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

**थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़**
**• नाजायज 08 ग्राम हेरोइन के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
**• अभियुक्त की रेलवे पटरी किनारे से गिरफ्तारी**
**• अभियुक्त के विरुद्ध NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत**

दिनांक 12.04.2026 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराही पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र, वांछित अपराधियों की तलाश व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान नन्दांव मोड़ पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खानकाह से गाहूखोर जाने वाले मार्ग पर रेलवे पटरी के किनारे एक व्यक्ति नाजायज हेरोइन के साथ बैठा हुआ है। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री किरणपाल सिंह को अवगत कराते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम मनीष सोनकर पुत्र श्यामलाल उर्फ तेजू सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक सफेद पॉलिथीन में कुल 08 ग्राम नाजायज हेरोइन बरामद हुई, जिसकी पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल कर की गई। बरामदगी के संबंध में वैध कागजात प्रस्तुत न कर पाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 94/2026 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना सरायमीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि वह अपनी सफाई माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है, जिसमें पूर्व में NDPS एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

1. मनीष सोनकर पुत्र श्यामलाल उर्फ तेजू सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी –**

1. अवैध 08 ग्राम हेरोइन।

**पंजीकृत अभियोग –**
मु0अ0सं0 94/2026 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास –**
अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरायमीर पर पूर्व में NDPS एक्ट, शस्त्र अधिनियम एवं अन्य धाराओं में कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –**
उ0नि0 अभिषेक सिंह, उ0नि0 पंकज यादव, हे0का0 विजय तिवारी, हे0का0 राकेश उपाध्याय, का0 अंकुर सिंह, का0 आलोक शुक्ला, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

**थाना – रानी की सराय, जनपद आजमगढ़**

**विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर मादक पदार्थ तस्करी में फंसाने वाले गिरोह का खुलासा, 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 14.03.2026 को वादी श्री सुनील यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना रानी की सराय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्तों द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए उन्हें मादक पदार्थ तस्करी में फंसाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 62/2026 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान संदीप विश्वकर्मा, डॉ0 फहीम खाँ, आदिल तथा नसीम आलम उर्फ भोनू का नाम प्रकाश में आया, जिस पर धारा 123, 61(2) बीएनएस, 29 एनडीपीएस एक्ट एवं 18/27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 12.04.2026 को उ0नि0 हैदर अली मंसूरी मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश/चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण ग्राम बेलइसा में मौजूद हैं। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा समय करीब 06:20 बजे ग्राम बेलइसा से अभियुक्त 1. डॉ0 फहीम खाँ पुत्र कमरुद्दीन खान निवासी सरायगंगापब्बी नदवा सराय थाना घोसी जनपद मऊ व 2. आदिल पुत्र कमरुद्दीन खान निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 62/2026 धारा 319(2), 318(4), 123, 61(2) बीएनएस, 29 एनडीपीएस एक्ट व 18/27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. डॉ0 फहीम खाँ पुत्र कमरुद्दीन खान, निवासी सरायगंगापब्बी नदवा सराय थाना घोसी जनपद मऊ

02. आदिल पुत्र कमरुद्दीन खान, निवासी सरायगंगापब्बी नदवा सराय थाना घोसी जनपद मऊ

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे संदीप विश्वकर्मा के कहने पर नसीम आलम उर्फ भोनू को सामग्री उपलब्ध कराते थे, जिसे आगे शम्भू यादव उर्फ श्याम यादव के माध्यम से विदेश जाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से लोगों को धोखे में रखकर मादक पदार्थ तस्करी में फंसाया जाता था। अभियुक्तों द्वारा अपने कृत्य पर खेद व्यक्त करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखने की बात कही गई है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 हैदर अली मंसूरी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

02. उ0नि0 सूरज तिवारी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

03. का0 देवेश गौड़, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

**थाना- महराजगंज, जनपद-आजमगढ़**

**नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 09.02.2026 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी दुर्गेश प्रजापति पुत्र खेलावन प्रजापति निवासी ग्राम अवसानपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ द्वारा नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम 1. दुर्गेश प्रजापति पुत्र खेलावन प्रजापति निवासी ग्राम अवसानपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 12.04.2026 को व0उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दुर्गेश प्रजापति पुत्र खेलावन प्रजापति निवासी ग्राम अवसानपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ उम्र लगभग 28 वर्ष को औघड़बाबा मोड़ (भैरोबाबा मन्दिर) से समय करीब 11.50 बजे हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. दुर्गेश प्रजापति पुत्र खेलावन प्रजापति निवासी ग्राम अवसानपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ उम्र लगभग 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 29/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी में लेने वाली टीम –

1- प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य , थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़।

2.व0उ0नि0 अजय कुमार यादव, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़।

3.हे0का0 विजयशंकर, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़।

4.म0का0 जया द्विवेदी, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़।

**पुलिस चौकी बम्हौर के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ**

आज दिनांक 12.04.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल तथा पुलिस उपाधीक्षक श्री शशि मौली पाण्डेय की गरिमामयी उपस्थिति में पुलिस चौकी बम्हौर की प्रस्तावित स्थापना हेतु निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया।

➡ इस चौकी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, अपराधों पर त्वरित नियंत्रण स्थापित करना तथा आमजन को समयबद्ध एवं प्रभावी पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। क्षेत्र की बढ़ती आबादी एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय स्तर पर पुलिस की सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो गया था।

उल्लेखनीय है कि प्रशासन द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना हेतु एक बीघा भूमि उपलब्ध कराई गई थी। आज उक्त भूमि की विधिवत पैमाइश कर उसे "पुलिस चौकी बम्हौर" के नाम से आवंटित किया गया तथा चौकी निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ संपन्न कराया गया।

➡ निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात यह चौकी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करने, अपराधों की रोकथाम में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

**थाना – निजामाबाद, जनपद – आजमगढ़**
**सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर गुमशुदा किशोर को वाराणसी से सकुशल बरामद किया गया**

घटना का विवरण:-

दिनांक 11.04.2026 को संजय चौरसिया पुत्र स्व० रामफेर चौरसिया निवासी ग्राम वैराडीह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद पर सूचना दी गई कि दिनांक 07.04.2026 को वह अपने भाई रमेश के दो पुत्रों, गणेश (उम्र लगभग 14 वर्ष) एवं अंश (उम्र लगभग 15 वर्ष) के साथ तहसील निजामाबाद किसी कार्य से आए थे। तहसील परिसर में प्रवेश करते समय उन्होंने दोनों बच्चों को गेट के बाहर बैठा दिया। कार्य समाप्त कर जब वे बाहर आए तो अंश वहां मौजूद नहीं था। गणेश से पूछने पर उसने बताया कि अंश पानी पीने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी अंश का कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद संजय चौरसिया द्वारा थाना पर सूचना दी गई।

बरामदगी का विवरण:-

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष के निर्देश पर उ0नि0 कमला प्रसाद पटेल द्वारा तत्काल जांच प्रारम्भ की गई। जांच के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि गुमशुदा किशोर अंश वाराणसी में किसी स्थान पर मौजूद है तथा उसने किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन से अपने घर संपर्क करने का प्रयास किया था। उक्त मोबाइल नंबर के माध्यम से संबंधित व्यक्ति से संपर्क स्थापित किया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि किशोर थाना जैतपुरा, वाराणसी क्षेत्र में है। तत्पश्चात थाना जैतपुरा पुलिस से समन्वय स्थापित कर उक्त किशोर को सुरक्षित थाने पर बुलवाया गया।

➡ इसके उपरांत थाना निजामाबाद से उ0नि0 कमला प्रसाद पटेल, हे0का0 हैसिलानन्द यादव तथा वादी संजय चौरसिया के साथ वाराणसी पहुंचकर किशोर अंश को सकुशल बरामद किया गया तथा उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

पूछताछ का विवरण:-

बरामद किशोर अंश ने पूछताछ में बताया कि उसके परिजनों द्वारा उसका मोबाइल फोन वापस ले लिया गया था, जिससे वह नाराज होकर बिना बताए अपने मन से वाराणसी चला गया था।

बरामदगी करने वाली टीम:-

01. उ0नि0 कमला प्रसाद पटेल,थाना – निजामाबाद, जनपद – आजमगढ़
02. हे0का0 हैसिलानन्द यादव,थाना – निजामाबाद, जनपद – आजमगढ़